न्यायालय अपील प्राधिकरण (जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः— गौरव अग्रवाल, आई.ए.एस.

भरण पोषण अपील संख्याः 06/2021

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थीगण
1— दमयंती कछवाह पत्नी स्व. महेन्द्रसिंह कछवाह निवासी 61, प्रथम पोलो, जोधपुर		1— हिमांशु कछवाह पुत्र स्व. महेन्द्र सिंह निवासी 261 DH, 140 Scheme Pipalyahana Bicholi Opp. APS School, Behind DA Multi Indore (M.P.) 2— श्रीमती वंदना पत्नी हिमांशु कछवाह निवासी 261 DH, 140 Scheme Pipalyahana Bicholi Opp. APS School, Behind DA Multi Indore (M.P.) 3— प्रणव कछवाह पुत्र हिमांशु कछवाह निवासी 261 DH, 140 Scheme Pipalyahana Bicholi Opp. APS School, Behind DA Multi Indore (M.P.) 4— अविनाश सिंह कछवाह पुत्र हिमांशु कछवाह निवासी 261 DH, 140 Scheme Pipalyahana Bicholi Opp. APS School, Behind DA Multi Indore (M.P.)

अपील अन्तर्गत धारा 16, माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 07.07.2021 जो उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी) जोधपुर द्वारा प्रकरण संख्या 57/2019 बअनवान दमयंती बनाम हिमांशु कछवाह में पारित किया गया।

उपस्थितिः—

1—अपीलार्थी अनुपस्थित।
2—प्रत्यर्थी संख्या—1 उपस्थित।

आदेश

अपील अपीलार्थी के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपीलार्थी/प्रार्थी की ओर से उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी) के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 2, 4, 5, 23 माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 बाबत जायदाद से बेदखल करने एवं रहवासीय मकान में प्रवेश नही करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी)

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

जोधपुर द्वारा सुनवाई कर आदेश दिनांक 07.07.2021 को पारित किया गया, जिसमें प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए अप्रार्थी को सौहार्दपूर्ण रहने एवं परिवार की सम्पतियों के हस्तातंरण इत्यादि के लिए अपनी वृद्ध माता पर किसी प्रकार का दबाव नही बनाने के आदेश दिया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज (06/2021) रजिस्टर कर प्रत्यर्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये व अधीनस्थ अधिकरण का मूल अभिलेख मंगवाया गया। प्रत्यर्थीगणों के नोटिस बाद तामील प्राप्त हुए, तथा अधीनस्थ अधिकरण से मूल अभिलेख प्राप्त हो चुका है। अपीलार्थी एवं रेस्पोडेण्ड संख्या 2 दिनांक 16.07.2024 को उपस्थित हुए तथा दोनो पक्षों की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी ने अपनी बहस में बतलाया कि रेस्पो. संख्या 1 व 2 क्रमशः उनके पुत्र एवं पुत्रवधु एवं 3 व 4 क्रमशः उनके पौत्र है तथा अपीलार्थी ने अधीनस्थ अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर) के समक्ष अंतर्गत धारा धारा 2, 4, 5, 23 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण अधिनियम 2007 बाबत अपीलार्थी की जायदाद से बेदखल करने एवं रहवासीय मकान में प्रवेश नही करने का आवेदन करने के उपरांत भी अपीलार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष प्रदान नही कर विधिक भूल की है। बहस में यह भी कहा कि अपीलार्थीगण के पुत्र एवं पुत्रवधु (रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2) शादी के बाद से ही अपीलार्थी, उनके पति एवं उनके परिवार के अन्य सदस्यों के साथ क्रूरतापूर्वक व अपमानजनक रहे है तथा कभी भी अपीलार्थी एवं उनके पति को कोई आर्थिक सहयोग नही किया। अपीलार्थी के पति स्व. महेन्द्र सिंह कछवाह द्वारा अपनी स्वअर्जित आय से प्लॉट संख्या 61 प्रथम पोलो, पावटा, जोधपुर को खरीद कर मकान बनवाया। अप्रार्थी/प्रत्यर्थी संख्या 4 की पढाई के लिए भी प्रार्थिनी व उसके पति ने लाखों रूपये खर्च किये। अप्रार्थी संख्या 1 वं 2 समय समय पर किसी न किसी बहाने से अपीलार्थी व उसके पति से रूपये ऐंठते रहे। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 सारी सम्पति अपने नाम करने एवं 45 लाख रूपये के लिए अपीलार्थी एवं उसके पति के साथ झगड़ा करने लगे तथा अपीलार्थी के पति को हार्टअटैक आने पर भी हाल चाल नही पूछा। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के अभद्र व्यवहार के कारण अपीलार्थी के मकान को रहवासीय मकान को अप्रार्थीगण को नही देना चाहते थे इसलिए अपीलार्थी व उसके पति ने एक दूसरे के पक्ष में अपनी अपनी सम्पतियों के विधिनुसार वसीयते दिनांक 19.06.2016 को निष्पादित किये। अपीलार्थी के पति महेन्द्र सिंह कछवाहा का दिनांक 04.06.2019 को स्वर्गवास हो गया, उनके स्वर्गवास होते ही उक्त वसीयतनामा दिनांक 19.06.2016 से मकान संख्या 61, प्रथम पोलो, जोधपुर की एक मात्र मालकीन अपीलार्थी/प्रार्थिनी बन गई। अप्रार्थीगण अपीलार्थी पर उक्त मकान को उनके नाम करने का दबाव दे रहे है व अपीलार्थी की पुत्रियों को घर से निकालने का प्रयास करते है। अप्रार्थीगण अपीलार्थी की सेवा चाकरी नही कर रहे है तथा न ही प्रार्थिनी का भरण पोषण कर रहे है। अतः अपील स्वीकर करते हुए अधीनस्थ अधिकरण के आदेश को अपास्त कर अपीलार्थी की जायदाद के आगे की तरफ आये हुए कमरों से अप्राथीगण को बेदखल करने व रहवासीय मकान में प्रवेश न करने के आदेश प्रदान किया जाय।

तत्पश्चात रेस्पोडेण्ट संख्या–1 ने अपनी बहस में बतलाया कि अपीलार्थी अपनी अन्य पुत्रियों के बहकावे में आकर अप्रार्थीगण को घर से बेदखल करना चाहती है तथा अपीलार्थी कार्यक्रम अधिशाषी आकाशवाणी जोधपुर से सेवानिवृत है एवं पेशनधारी है। अपीलार्थी/प्रार्थिया ने अपने जीवनकाल में समाज के इन्जीनियर्स गिल्ड छात्रावास, अशोक कॉलोनी, रामसागर, जोधपुर में 2,51,000 की राशि भेंट की तथा दिनांक 25.08.2022 को पूर्व विद्यार्थी एवं शाला हितेशी परिषद राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय किशन कन्या परिषद, नागौरी बेरा, मण्डोर, जोधपुर को 25,000/– रूपये दान किये। बहस में आगे बतलाया गया कि अपीलार्थी के रहवासीय जायदाद मकान नं. 61, प्रथम पोलो, जोधपुर से संबंधित वसीयत का वाद सिविल न्यायालय में विचाराधीन है तथा अप्रार्थी संख्या 1 ने अधिकरण के समक्ष अपनी माता की सेवा करने की भावना भी व्यक्त की। बहस के अंत में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ अधिकरण से प्राप्त मूल अभिलेख का भी अध्ययन किया। अपीलार्थी पक्ष द्वारा अपील में मुख्य रूप रहवासीय जायदाद मकान नं. 61, प्रथम पोलो, जोधपुर के आगे की तरफ आये हुए कमरों से अप्रार्थीगण को बेदखल करने व रहवासीय मकान में प्रवेश न करने की प्रार्थना की गई। उक्त वादग्रस्त जायदाद का वसीयत संबंधी वाद सिविल न्यायालय में विचाराधीन है तथा अपीलार्थी सेवानिवृत पेंशनधारी है। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 वरिष्ठ नागरिकों एवं माता–पिता के संरक्षण हेतु कवच/बचाव के लिए है न कि प्रताड़ित करने की भावना से हथियार के रूप में उपयोग में लाने हेतु बनाया गया है तथा अधिनियम की धारा 23 के अनुसार जायदाद से बेदखल कर कब्जा सुपुर्द कराने का प्रावधान नही होने से अपीलार्थी की अपील खारिज की जाकर अप्रार्थीगण को अपीलार्थी के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार कर सदभाव से रहने के लिए पावंद किया जाता है। आदेश प्रति के साथ मूल अभिलेख संबंधित अधीनस्थ अधिकरण को सूचनार्थ एवं पालनार्थ पुनः लौटाया जावे। आदेश सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)
अपील अधिकरण
(जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

आदेश आज दिनांक 13.08.2024 को सुनाया व हस्ताक्षरित किया

(गौरव अग्रवाल)
अपील अधिकरण
(जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)